

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अदालत सिणधरी - 2018 - 2018 मेहेचान

प्रकरण सं:- 187/2018


दिनांक:- 12-6-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1410

आदेश


प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जुना मीठा खेड़ा व
मू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार
सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
के अनुसरण में ग्राम भारा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत
2071-74 में खाता संख्या 152 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	भारा	152	27	मोरोदेगी पाली टीकमसिंह	मोरोदेवर पाली टीकमसिंह शेष बटुसर


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 12-6-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1411-1413
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मोरोदेवर निवासी भारा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी